UBN No. — RTC2627SSSS00160

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बून्दी आगार

कार्यालय मुख्य प्रबंधक, बून्दी आगार

क्रमांक :—एफ/प्रशा./मु.प्र./बून्दी/2026/1297 दिनांक :— 14/05/2026

निविदा — सूचना

बस स्टैण्ड बून्दी पर पब्लिक सुलभ शौचालय हेतु (ठेके) लाइसेसी नियुक्त किया जाना है।

क्र.सं	कार्य की प्रकृति	धरोहर राशि	अवधि	वार्षिक अनुमानित आय
1	पब्लिक सुलभ शौचालय	15000	01 वर्ष	60000

निविदा फार्म निर्धारित राशि रूपये 200/— नकद ज़मा कराकर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय समय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा फार्म के धरोहर राशि 15000 रूपये डी.डी./बैंकर्स चैक मुख्य प्रबंधक रा.रा.प.प.निगम बून्दी आगार के नाम जमा करवानी होगी। धरोहर राशि जमा कराये बिना निविदा मान्य नही होगी। इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपने प्रस्ताव दिनांक 29.05.2026 को दोपहर 2.00 बजे तक लिफाफे में जमा करायेगे। जो उसी दिन दोपहर 03.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोला जावेगा। किसी भी प्रकार का प्रस्ताव या सभी प्रस्तावों को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण रूप से अधिकार होगा। निविदाकर्ता स्थान की जांच अपने स्तर पर कर लें। निविदा खुलने एंव आंवटन के पश्चात् किसी भी प्रकार की शिकायत मान्य नही होगी एंव जमा समस्त राशि को निगम द्वारा जब्त कर लिया जावेगा। किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा। उपरोक्त अनुमानित राशि केवल लाइसेंस फीस मात्र है इस पर GST अतिरिक्त देय होगा।

14-5-2026

मुख्य प्रबन्धक,
बून्दी आगार

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बून्दी आगार

निविदा प्रपत्र (क)

राजस्थान परिवहन निगम के बस स्टैण्ड़ बून्दी में पब्लिक सुलभ शौचालय का ठेका आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र (यह प्रपत्र अहस्तान्तरणीय है तथा जिसके पत्र में यह जारी किया जावे उसी के प्रयोजनार्थ है)

निविदा प्रपत्र संख्या एफ/प्रशा./2026/
दिनांकः–

निविदा प्रपत्र की राशि–200 रूपयें मात्र
जमा रूपयें ..../–
अक्षरें ....रूपयें मात्र
नकद/रसीद संख्या.................................
दिनांकः– ....

निविदा प्राप्त करनें की दिनांक
निविदा प्रपत्र जमा करनें की दिनांक
निविदा खोलने की दिनांक

1. फर्म/व्यक्ति का नाम व पताः–...
....
2. टेलिफोन नम्बरः–...
3. टेलेक्स/फेक्स नम्बरः–..
4. व्यावसायिक अनुभव व उसका विवरणः–...
5. धरोहर राशिः–..
6. धरोहर राशि का निगम कोष में जमा रसीद संख्याः–...
 /ड्राफ्ट/बैकर्स चेक नम्बर दिनांकः–...
7. देय लाइसेन्स शुल्क राशि रूपयें ....राशि प्रतिमाह रूपयें ....
 शब्दों मेंः–..
8. निगम में पूर्व में पब्लिक सुलभ शौचालय का ठेका आवंटन हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण.........................
....
....
9. निविदादाता का बैंक अकाउन्ट किस बैंक में...है,
 नम्बर सहित दर्शायें।..
10निविदादाता की चल अचल सम्पति ....
 का विवरण सत्यापित दर्शायें...
11 अन्य विवरण..
....

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम–...................................
पिता का नाम ....
पता...
मोबाईल नं...

....

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बून्दी आगार

घोषणा पत्र

निविदादाता द्वारा घोषणा पत्र को भरकर हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है।

1. मै/हम निगम कोष में जमा रसीद संख्या/डी.डी. संख्या/बैकर्स चैक संख्या. ....दिनांक ....राशि. ....रूपये..जो कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नाम देय है, संलग्न कर रहे है/कर दिया है।

2. मैं/हमने निगम की समस्त शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तों की पालना का वचन देता हूँ/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/हम निगम के साथ लाइसेसी पर हस्ताक्षर कर दूंगी/देंगें।

3. मैं/हम घोषणा करता/करते है कि मैने/हमने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये है उसमें किसी अन्य संस्थान को कोई सरोकार नही है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान की तरफ से नही दिये गये हैं।

दिनांक ....

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पद/हेसियत/मोहर सहित

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बून्दी आगार

निविदा शर्ते वर्ष (2026-27)

निविदा शुल्क.....................................रूपये मात्र

निविदा दिनांक...

निविदा प्राप्ति समय...

निविदा खोलने का समय..

पब्लिक सुलभ शौचालय के आंवटन /संचालन की निविदा शर्ते निम्न हैः.

1. निगम परिसर में पब्लिक सुलभ शौचालय के अस्थाई लाइसेस पर 01वर्ष के लिए दी जावेगी। 01वर्ष की अवधि समाप्ति पर लाइसेंसी के विरूद्ध कोई राशि बकाया नही होने/संतोषजनक सेवायें रहने पर लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत चक्रवद्धि दर से वृद्धि करते हुए नवीनीकरण किया जा सकेगा उक्त लाईसेंस अवधि समाप्ति के एक माह पूर्व पुनः खुली निविदा आंमत्रित कर नये उच्चतम निविदादाता को दिशा निर्देशानुसार समय पर सुलभ शौचालय के आंवटन की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुज्ञी की अवधि समाप्ति पर लाईसेसी द्वारा स्वतः ही विना सूचना/नोटिस प्राप्त हुए निगम को सुलभ शौचालय खाली कर कब्जा सम्भलाना पडेगा। लाइसेसी द्वारा किसी न्यायालय में निगम के विरूद्ध वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।

2. लाइसेस पर सुलभ शौचालय लेने हेतु लाइसेसी को 500 रूपये के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर निर्धारित शर्तों के अनुरूप लिखित में अनुबंध करना होगा।

3. द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त जन सुविधा 24 घण्टे नियमित रूप से व्यवधान के रखनी होगी और नियमित रूप से कर्मचारी की व्यवस्था रखनी होगीं

4. द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त जन सुविधा क्षेत्र में किसी प्रकार का पोस्टर विज्ञापन आदि प्रदर्शित नहीं करेगें।

5. द्वितीय पक्ष उक्त जन सुविधा क्षेत्र में यात्रियों के हाथ धुलाई हेतु साबुन की व्यवस्था एवं हाथ साफ करने के लियें तोलियें की व्यवस्था भी रखनी होगी एवं सुविधायें क्षेत्र को पूर्णतया साफ सुथरा रखना होगा।

6- सफाई व्यवस्था के जितने भी संसाधन की आवश्यक होगी उनकी वयवस्था द्वितीय पक्ष को स्वंय करनी होगी तथा जनसुविधा के लिए सेनेटरी कनेक्शन की जिम्मेदारी एवं नल टूटी व बाहर पीने के पानी की व्यवस्था करना एवं जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगीं

..............2

Scanned with OKEN Scanner

7.किसी भी समय व विवाद की स्थिति में रा.रा.प.प.निगम मुख्यालय जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा जो दोनो पक्षो को मान्य होगा।

8. निविदा पत्र के साथ धरोहर राशि ..../–रूपये (अक्षरे .... रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/चैकर्स चैक/नगद जमा की रसीद संलग्न करनी होगी।लाइसेंस आवटित होने पर लाइसेसी को दस दिवस में तीन माह की लाइसेंस के बराबर सुरक्षा राशि की डी.डी./बैकर्स चैक/नगद निगम कोष में जमा करानी होगी। उक्त धरोहर एंव सुरक्षा राशि बिना ब्याज के लाइसेंस अवधि समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी। लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस जारी होने के तीन दिवस के अन्दर व्यवसाय आरम्भ नही करने पर धरोहर एंव सुरक्षा राशि जब्त कर लाइसेंस रद्द कर दिया जावेगा व द्वितिय उच्चतम निविदादाता को अक्षवा पुनः निविदा कर लाइसेंस आवंटन किया जा सकेगा।

9. लाइसेंसी मासिक लाईसेसी फीस के प्रतिवर्ष (वर्ष आंवटन दिनांक से माना जावेगा) 12 अग्रिम पोस्ट डेटेड चैक जो प्रत्येक माह की 07 तारीख को देय होगे, देगा। माह की 07 तारीख तक लाईसेसी फीस जमा नही कराने अथवा लाईसेस की किसी शर्त का पालन करने में असमर्थ रहने पर आगारीय समिति 48 घंटे का नोटिस जारी कर लाईसेंस निरस्त कर सकेगी। लाईसेंस निरस्त करने/वापिस लिये जाने पर लाईसेंसी निगम परिसर को 24 घंटे में खाली कर कब्जा निगम के सक्षम अधिकारी को देय होगा। ऐसा नही किये जाने पर निगम के सक्षम अधिकारी परिसर में प्रवेश कर सुलभ शौचालय का कब्जा ले लेगा और सुलभ शौचालय के ताला लगा दिया जायेगा।

10. लाईसेंसी स्वंय के खर्चे पर संबंधित विभाग से विजली, पानी का कनेक्शन प्राप्त करेगा व उसका स्वंय भुगतान वहन करेगा। अनुबंध समाप्त होने पर आगारीय समिति संबंधित विभाग को कनेक्शन वन्द करने लिए सूचित करेगा।

11. आंवटित सुलभ शौचालय ठेका स्थान पर लाईसेसी मादक पदार्थ जैसे शराब, वीयर, अफीम, गांजा, चरस, व सरकार द्वारा प्रतिवधित पदार्थ न तो रखेगा और न ही बेचेगा एवं किसी भी प्रकार का खेल खेलने जेसे ताश जुआ आदि की अनुमति नहीं होगीं । द्वितीय पक्ष का उत्तरदायित्व होगा. अन्यथा उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगीं।

12. लाईसेसी अपना व्यवसाय आंवटित स्थान सीमा में ही कर सकेगा।

13. निगम द्वारा लाईसेंसी को 15 दिन का लिखित नोटिस देकर लाईसेंस को निरस्त करने का अधिकार होगा। जिसके लिए कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक नही होगा।

14. यदि लाईसेसधारी स्वंय अपना लाईसेंस चालू नही रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व उसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी। तीन माह का नोटिस दिये विना व्यवसाय बंद करने पर उसकी पूर्व में जमा सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।

——3

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

15. अनुबंध के क्रियान्वयन शर्तों एंव अनुबंध के निर्वाचन के संबंध में दोनो पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए परिवहन निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णायक होगे जिनका निर्णय अंतिम व दोनो को मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत किये बिना एंव उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नही ले जा सकेगे। उक्त दोनो पक्ष यह जानते है कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी है एंव उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिए सहमति व्यक्त करते है। पंच निर्णायक/न्यायालय का कार्य क्षेत्र/कार्य स्थल जयपुर होगा।

16. लाईसेसी के विरूद्ध किसी भी तरह की बकाया राशि होने की स्थिति में उसकी जमा सुरक्षा राशि में से राशि समायोजित कर ली जावेगी, जो लाईसेसी द्वारा दो दिवस में बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुनः निगम कोष मे जमा करानी होगी। ऐसे नही करने पर आगारीय समिति लाईसंस निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर अन्य योग्य फर्म को लाइसेंस दे दिया जावेगा।

17. लाईसेसी द्वारा निगम से समय समय पर जारी आदेश/शर्तो का पालन किया जावेगा अन्यथा आगारीय कमेटी को लाइसेंस निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इससे होने वाली हानि के लिए लाईसेसी स्वंय जिम्मेदार होगा।

18. यदि निविदा दाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाते है तो निविदा दाता को लाइसेंस प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य प्रबंधक के कार्यालय में प्रस्तुत करने होगे।

1. निविदादाता के नाम पर जो भी चल एंव अचल संपत्ति है उनके प्रपत्रों की प्रमाणित छाया प्रति अथवा स्वंय के नाम पर कोई अचल संपत्ति नही है तो उसके गांरटर की चल एंव अचल संपत्ति के प्रपत्रों की प्रमाणित फोटो प्रति।
2. निविदादाता के नाम पते के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति। (पुष्टि में मतदाता परिचय पत्र/वर्तमान ड्राईविंग लाइसेंस की प्रति, पैन कार्ड, इनकम टेक्स रिटर्न की प्रमाणित फोटो प्रति)।

19. निविदा प्रारूप सील बंद लिफाफे में प्रेषित किये जावेगें।

20. निविदा प्रस्ताव सरल एंव शुद्ध भाषा में होगें तथा किसी प्रकार की कांट-छांट ना हो। प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखें।

21. निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नही होगे।

22. यदि किसी भी संस्थान /व्यक्ति /फर्म के विरूद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।

----4.

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

23. देय मासिक लाइसेंस फीस पर सेवा कर में 18 प्रतिशत अतिरिक्त लाइसेंसी द्वारा निगम को को भुगतान करना होगा।

24. लाईसेंसी द्वारा निशुल्क मूत्रालय (पुरूष/महिला)दोनों गेट पर जो नियत है उनकी साफ सफाई अपने स्तर से प्रतिदिन किया जाना सुनिश्चित करेगें।

25. संलग्न घोषणा पत्र को भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करें।

26. मैनें उपरोक्त शर्तो को पढकर,समझाकर,सुनकर मैने हस्ताक्षर किये है। उक्त शर्ते मुझे स्वीकार है।

27. लाईसेंसधारी द्वारा निर्धारित अवधि में लाईसेंस फीस निगम कोष में जमा नही करवाने पर प्रतिदिन 50/– अथवा चैक राशि का एक प्रतिशत (जो भी अधिक हो दर सें शास्ती जमा करानी होगी की फिर भी लाईसेसी द्वारा भुगतान नहीं किये जाने पर चैक अनादरण होने की स्थिति में लाईसेंस धारी के विरूद्ध नियमानुसार न्यायिक कार्यवाही की जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम–
पिता का नाम–
पता–
मोबाईल न0–

मुख्य प्रबंधक,
बून्दी आगार।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner